

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2020/1278

दिनांक:- 27/01/2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1067 दिनांक 12.12.2019 के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की 239 वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णयानुसार उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जोधपुर के कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना के 830 आवासों का निस्तारण ई-ऑक्शन में 0 से 25 प्रतिशत ऋणात्मक दर से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम जोधपुर के पत्र क्रमांक 1627 दिनांक 20.01.2020 के अनुसार आदेश में वर्णित क्रम संख्या 8 में अल्प आय वर्ग के आवास संख्या 3-ई-79 के स्थान पर 3-ई-4 टंकण त्रुटि सहवन अंकित हो गया है।

अतः प्राप्त पत्र के अनुसार उक्त आवासीय योजना बालोतरा में अल्प आय वर्ग के फ्लेट संख्या 3-ई-4 के स्थान पर 3-ई-79 पढ़ा जावें।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक